संख्या-37/2018/1950 ई-2/तेरह-2018-46/2017

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 मई,2018

विषयः- वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् प्रदेश में बार/क्लब में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-34/दस-लाइसेंस-323/88/अवशेष स्टाक/2018-19, दिनांक 16 मई,2018 तथा इस सम्बन्ध में दि0 17 मई,2018 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-1939 ई-2/तेरह-2018-46/2017 दिनांक 17 मई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं पर्यटन स्थलों के बार/क्लब में उच्च श्रेणी की मदिरा की परिसर में सेवन हेतु उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् उनमें भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टॉक पर डिफरेन्शियल ड्यूटी प्राप्त कर अवशेष स्टाक का एक माह के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय तथा बार एवं क्लब से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त किया जाय। अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाई जाने की स्थिति में बार/क्लब का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय।

3- उक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बार/क्लब में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर पृथक से बनाया जाय, जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जाय। अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में बार/क्लब से 20 जून,2018 तक शपथ-पत्र प्राप्त कर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाय।

भवदीया,
( कल्पना अवस्थी )
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in